



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124989

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19274/2026

योगेश कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्ष

आवेदक के लिए अधिवक्ता : आशीष कुमार

विपक्ष के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या -4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. प्रथम शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री अजेंद्र कुमार द्वारा आज न्यायालय में दायर वकालतनामा को अभिलेख में ले लिया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री आशीष कुमार की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार विश्वकर्मा, प्रथम शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री अजेंद्र कुमार की ओर से अधिवक्ता श्री आनंद मोहन, राज्य के लिए अधिवक्ता श्री ए.जी.ए. की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. यह जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 0173/2025 में, बी.एन.एस. की धारा 137(2), 64(1), 352, 351(2) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 के तहत, पुलिस थाना -निधौली कला, जिला-एटा में, विचारण की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एफआईआर में आवेदक पर प्रथम शिकायतकर्ता की लगभग 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



लगाया गया है। इसके बाद, पीड़िता का बयान बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने कहा कि माता-पिता की डांट के बाद वह खुद घर से चली गई थी और वह वर्तमान आवेदक को नहीं जानती थी, और कुछ समय बाद वह वापस घर लौट आई। इसके बाद, पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में फिर से कहा कि वह अपनी मर्जी से घर से चली गई थी, लेकिन वह पिछले डेढ़ साल से वर्तमान आवेदक के साथ संबंध में थी, और उसने यह भी कहा है कि आवेदक ने कोई अन्याय नहीं किया है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि यद्यपि चौथी कक्षा की पीड़िता के विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के अनुसार घटना के दिन उसकी आयु लगभग 17 वर्ष और एक माह थी, लेकिन अस्थि-निर्माण परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की आयु लगभग 18-19 वर्ष थी। अतः, पीड़िता घर छोड़ते समय बालिग थी और आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक विधि का पालन करने वाला नागरिक है और वह 05.04.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन वे उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की सह-अपराधिता, कारागारों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, जो 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038** में रिपोर्ट किया गया, मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 6765** में रिपोर्ट किया गया, मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **योगेश कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो जाए, तथा साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/अन्वेषण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

10. आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल संख्या और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 में जमानत देने की नीति रणनीति, जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 31.01.2023 के आदेश और रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 में पिला पहन @ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 29.05.2026 के आदेश, का पालन करते हुए, इस आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, एटा के ज़रिए 24 घंटे के भीतर ईमेल या ई-जेल पोर्टल से आवेदक को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को भेजे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

3 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।